

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-29.09.2024

जिला अधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 07 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही-

जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

1. अमन उपाध्याय पुत्र केशव उर्फ नित्यानन्द उपाध्याय निवासी ग्राम-कसवढ थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।

(मार-पीट करने का अभियोग)

1-मु0अ0सं0 175/2022 धारा 323,504,506,325,427 भा०द०वि० थाना सकलडीहा।

2-मु0अ0सं0 178/2022 धारा 147,148,149,323,332,336,504,506 भा०द०वि० व 7 सीएलए एक्ट थाना सकलडीहा।

3-मु0अ0सं0 27/2024 धारा 323,504,325, भा०द०वि० थाना सकलडीहा।

4-एनसीआर संख्या-80/2023 धारा 323,504 भा०द०वि० थाना सकलडीहा।

2. विजय पुत्र लालमनी राम निवासी बिसूपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली।

(मार-पीट करने का अभियोग)

1-मु0अ0सं0 54/99 धारा 323,324,504,भा०द०वि० थाना बलुआ।

2- मु0अ0सं0 123ए/2010 धारा 147,323,504,506 भा०द०वि० थाना बलुआ।

3-मु0अ0सं0 139/2022 धारा 147,323,352,506,325 भा०द०वि० थाना बलुआ।

3. नवनीत उपाध्याय पुत्र रमाशंकर उपाध्याय निवासी ग्राम भरहुलिया थाना धीना जनपद चंदौली।

(धोखा-धड़ी, अवैध हथियार रखने, चोरी का अभियोग)

1-मु0अ0सं0 182/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा

2-मु0अ0सं0 183/2014 धारा 411,414,419,420,467,468,471,120बी भा०द०वि० थाना सकलडीहा

3-मु0अ0सं0 186/2015 धारा 34/307 भा०द०वि० व 7 सीएलए एक्ट थाना धीना।

4-मु0अ0सं0 87/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धीना।

5-मु0अ0सं0 89/2015 धारा 41,411 भा०द०वि० थाना धीना।

4. जितेन्द्र पाल पुत्र राम सकल पाल निवासी ग्राम चन्दरखा थाना अलीनगर जनपद चंदौली।

(धोखा-धड़ी, अवैध हथियार रखने, गैंगेस्टर का अभियोग,)

1-मु0अ0सं0 16/2022 धारा 60(2)/63 आबकारी अधिनियम व 272,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना अलीनगर।

2-मु0अ0सं0 18/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर।

3-मु0अ0सं0 318/2022 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीनगर।

5. संदीप बियार उर्फ रिंकू बियार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम गोपलापुर थाना बबुरी जनपद चंदौली।

(धोखा-धड़ी, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब की तस्करी का अभियोग,)

1-मु0अ0सं0 33/2022 धारा 419,420 भा0द0वि0 थाना बबुरी।

2-मु0अ0सं0 32/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबुरी।

3-मु0अ0सं0 1/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बबुरी।

4-मु0अ0सं0 36/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना चकिया।

5-मु0अ0सं0 92/2018 धारा 354,452,504,506 भा0द0वि0 थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर।

6. बृजेश तिवारी पुत्र रामाधार तिवारी निवासी ग्राम नेगुरा थाना चंदौली जनपद चंदौली।

(अवैध हथियार रखने, लूट, हत्या के प्रयास का अभियोग,)

1-मु0अ0सं0 82/2015 धारा 392 भा0द0वि0 थाना चन्दौली।

2-मु0अ0सं0 168/2005 धारा 307 भा0द0वि0 थाना चन्दौली।

3-मु0अ0सं0 169/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

7. शिवम सिंह पुत्र स्व0 शिवनरायण सिंह निवासी ग्राम मझवार थाना चन्दौली जनपद चन्दौली ।

(मार-पीट करने व अत्याचार निवारण का अभियोग)

1-मु0अ0सं0 190/2017 धारा 186,323,332,452,504,506 भा०द०वि० थाना चन्दौली ।

2-मु०अ०सं० 308/2017 धारा 323,325,427,504,506 भा०द०वि० थाना चन्दौली। 3-मु०अ०सं० 88/2018 धारा 3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट व 147,323,504,506 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

4- मु०अ०सं० 62/2018 धारा 323,504,506 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

5-मु०अ०सं० 91/2019 धारा 3(1) (द) एससी/एसटी एक्ट व 323,504 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

6-मु०अ०सं० 71/2021 3(1) (द) (ध) एससी/एसटी एक्ट व 147,323,504 भा०द०वि० थाना चन्दौली।

थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक डीसीएम में वध हेतु क्रूरता पूर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 27 राशि गोवंशों बरामद व तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार –

थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक डीसीएम में वध हेतु क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 27 राशि गोवंशों बरामद कर तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 172/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मो. लईक पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी ग्राम मीरपुर थाना पिपरी जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु.अ.सं. 310/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम , 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लंका जनपद वाराणसी
- 2.मु.अ.सं. 474/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि व 11(1)(डी) पशु क्रूरता अधिनियम थाना माल्लवां जिला हरदोई
- 3.मु.अ.सं. 061/2023 धारा 3(2) गैगेस्टर थाना कासिमपुर जिला हरदोई

बरामदगी का विवरण:-

- 1.एक डीसीएम वाहन संख्या UP 19 AT 2106
- 2.एक मोबाइल की पैड
3. 27 राशि गोवंश (जिसमें 06 राशि साड़ व 03 राशि बैल, 16 राशि गाय तथा दो राशि मृत गाय)